राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 312402

डिक्री के निष्पादन के लिये आवेदन-पत्र

(आदेश 21 का नियम 11)

उप जिला कलेक्टर सा० स्थान टोडाभीम

26-9-25 पेशी

डिक्रीदार इसके द्वारा नीचे दी गई डिक्री के निष्पादन के लिये आवेदन करता है —

क्रम	विवरण	प्रविष्टि
1	वाद का क्रमांक	.../2024
2	पक्षकारों के नाम	लक्ष्मीनारायण पुत्र धंरी पुत्र ढोंजी जाति कोली निवासी बालघाट तहसील बालघाट जिला करौली बनाम तहसीलदार बालघाट, तहसील बालघाट, आशा, किशन बाबू, मनोज, गुड्डी, सुशीला पितराम शिवलाल, शांति पत्नि शिवलाल, सन्तु पुत्र ढोंजी लकात जाति कोली निवासी- बालघाट तह० बालघाट जिला करौली
3	डिक्री की तारीख	27/08/2025
4	क्या डिक्री की कोई अपील की गई है	जी नहीं
5	यदि कोई संदाय या समायोजन किया गया है तो वह संदाय या समायोजन	कोई नहीं
6	यदि पहले कोई आवेदन किया गया है तो उसकी तारीख और परिणाम	कोई नहीं
7	डिक्री की रकम उस पर शोध्य ब्याज के सहित या एतद्द्वारा अनुदत्त अन्य अनुतोष प्रति डिक्री की विशिष्टियों के सहित	कोई नहीं
8	यदि खर्चों मद्धे कोई रकम अधिनिर्णीत की गई है तो वह रकम	नहीं
9	किसके विरुद्ध निष्पादन किया जाए	तहसीलदार बालघाट तह० बालघाट जिला करौली
10	वह ढंग जिससे न्यायालय की सहायता अपेक्षित है	श्रीमान जी, ज्ञापन द्वारा प्रस्तुत है—

हस्ताक्षर ....

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 18 / 2024 तारीख रजू :– 03.09.2024

पीठासीन अधिकारी :– पूजा मीना आर.ए.एस.

लक्ष्मीनारायण उर्फ घंटी पुत्र दौजी आयु 53 साल जाति कोली निवासी बालघाट तहसील बालघाट जिला गंगापुर सिटी (राज0)

वादी

वनाम

1. तहसीलदार बालघाट तहसील बालघाट, जिला गंगापुर सिटी
2. आशा
3. किशन बाबू
4. मनोज
5. गुड्डी
6. सुशीला
7. शान्ति पत्नि शिवलाल
8. रतन पुत्र दौजी

(2 से 6) पिसरान शिवलाल; (2 से 8) समस्त जाति कोली निवासी बालघाट तहसील बालघाट जिला गंगापुर सिटी (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती हाल राजस्व रिकार्ड

उपस्थित :– 1 श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट वादी

प्रतिवादी नं0 2 ता 8 एकपक्षीय कार्यवाही

पैरोकार सरकार तहसीलदार बालघाट प्रतिवादी नं0 1

निर्णय दिनांक– 27/08/25

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि नवीन खाता संख्या 510 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 890 रकवा 39 ऐयर स्थित ग्राम बालघाट तहसील बालघाट है, जो वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 ता 8 की शामलाती कब्जे काश्त आराजी है। वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 2 ता 8 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है जिनका सजरा खानदान इस प्रकार है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
कार्या. उप जिला कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

झोली
- बुद्धा
  - लाऔलाद फौत
- दौजी
  - रतन
  - लक्ष्मीनारायण उर्फ घंटी
  - किशनलाल फौत
    - आशा पुत्री
    - गुड्डी पुत्री
    - सुशीला पुत्री
    - किशन बाबू पुत्र
    - मनोज पुत्र
    - शान्ति बेवा

हाल जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी का बोलता नाम घंटी पुत्र दौजी दर्ज कर दिया, जबकि वादी का समस्त सरकारी रिकार्ड जैसे राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक में वादी का रिकॉर्डेड नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र दौजी दर्ज है, लेकिन हाल जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी का बोलता नाम घंटी पुत्र दौजी गलत दर्ज कर दिया है जिसे हजफ किया जाकर उक्त नाम के स्थान पर सही व रिकार्डेड नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र दौजी दुरुस्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

वादी ने दिनांक 30.08.2024 को अपनी भूमि की हाल जमाबन्दी निकलवाई तो वादी को जमाबन्दी में अपना नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र दौजी के स्थान पर बोलता नाम घंटी पुत्र दौजी दर्ज होने का पता चला जिस पर वादी उसी दिन तहसीलदार जी से सम्पर्क किया तो तहसीलदार जी द्वारा नाम दुरुस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में बाद दायर करने की सलाह देने पर यह दावा बावत् इन्द्राज दुरुस्ती पेश किया जा रहा है। विनाय दावा बहक वादी वखिलाफ प्रतिवादीगण दिनांक 30.08.2024 को वादी द्वारा हाल जमाबन्दी निकलवाने पर हाल जमाबन्दी में वादी का बोलता नाम घंटी पुत्र दौजी गलत दर्ज कर देने से बमुकाम बालघाट तहसील बालघाट उत्पन्न हुई। प्रतिवादी नं0 2 ता 8 वादी के परिवारजन है एवं सहखातेदार होने से तरतीबी पक्षकार प्रतिवादीगण बनाये गये है तथा खातेदार बुद्धा लाऔलाद फौत हो गया है तथा जिनके वारिसान वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 8 है तथा खतेदार धूपी भी फौत हो गई जिनके वारिस पहले ही वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 ता 8 है। दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादी नं0 1 बावत् इन्द्राज दुरुस्ती हाल जमाबन्दी व घोषणात्मक इस आशय से डिकी किया जावे कि ग्राम बालघाट में स्थित नवीन खाता संख्या 510 में दर्ज खसरा नम्बर 890 रकवा 39

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
कार्या. उप जिला कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

ऐयर जमाबन्दी में दर्ज नाम घंटी पुत्र दौजी के स्थान पर रिकॉर्डेड नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र दौजी दर्ज किया जावे और इस आशय का अमल दरामद समस्त राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है प्रतिवादीगण के नोटिस स्वयं एवं परिवारजनों से होने के बावजूद सूचना के प्रतिवादीगण संख्या 3, 5, 7 न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 3, 5, 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादीगण संख्या 2, 4, 6, 8 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये। प्रतिवादी अधिवक्ता ने जबाव प्रस्तुत करने से इन्कार कर दिया। प्रतिवादी नं0 1 की ओर से सरकार पैरोकार उपस्थित हुये, पैराकार सरकार की ओर से जबाव प्रस्तुत किया कि ग्राम बालघाट की जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 में खाता संख्या 510 में दर्ज खसरा नम्बर 890 रकवा 0.39 है0 की खातेदारी घंटी पुत्र दौजी हिस्सा 1/8 जाति कोली दर्ज रिकार्ड है। भू–प्रबन्ध विभाग खतौनी के खाता संख्या 364 में शिवलाल, रतन, घंटी पि0 दौजी मु0 धूपी बेवा दौजी हिस्सा 1/2 बुद्धा पुत्र भोली हिस्सा 1/2 जाति कोली के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल ख0नं0 890 का साबिक खसरा नम्बर 800 रकवा 01 बीघा 11 विस्व है जमाबन्दी सम्वत् 2038–41 में वादी के पिता दौजी के नाम दर्ज रिकार्ड है भू–प्रबन्ध के दौरान विरासत का नामान्तकरण खोला गया जिसके कारण भू–प्रबन्धर खतौनी में शिवलाल रतन घंटी पि0 दौजी मु0 धूपी बेवा दौजी हिस्सा 1/2 दर्ज हुआ है। मुताबिक फर्द मौका व ग्रामवासियों के लक्ष्मीनारायण उर्फ घंटी पुत्र दौजी नाम से एक ही व्यक्ति है लक्ष्मीनारायण पुत्र दौजी नाम से अन्य कोई व्यक्ति नहीं है वादी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र, राशनकार्ड, जनआधार कार्ड, एवं बैंक खाता पासबुक में वादी का नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र दौजी अंकित है। अतः वादी का नाम लक्ष्मीनारायण उर्फ घंटी पुत्र दौजी अंकित किया जाना उचित है।

मैनें वकील वादी एवं सरकार पैरोकार की बहस सुनी अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी का नाम लक्ष्मीनारायण है लेकिन रेवेन्यू रिकोर्ड घंटी हो गया है जबकि मेरे समस्त दस्तावेजो मे मेरा नाम लक्ष्मीनारायण है मैने दस्तावेजो मे राशन कार्ड,

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
जिला कलक्टर

आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक पहचान पत्र आदि के दस्तावेज पेश किये पैरोकार तहसीलदार द्वारा अपने जबाब के कथनो का दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजी में वादी का नाम घंटी है जो विरासत के नामान्तकरण के द्वारा आयी है

मैने वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। जमावंदी ग्राम बालघाट खाता संख्या 510 में वर्णित खसरा नम्बर 890 रकवा 0.39 है0 तहसील बालघाट में वादी का नाम घंटी दर्ज है। भू–प्रबन्ध के दौरान से लक्ष्मीनारायण के स्थान पर घंटी दर्ज हो गया। उक्त दस्तावेजों तथा तहसीलदार बालघाट की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अतः ग्राम ग्राम बालघाट खाता संख्या 510 में वर्णित खसरा नम्बर 890 रकवा 0.39 है0 तहसील बालघाट में वादी का नाम घंटी पुत्र दौजी को हजफ कर लक्ष्मीनारायण पुत्र दौजी अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है वादी का जमावंदी में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार बालघाट उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय दिनांक 27/08/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
कार्या. उप जिला कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली